

हरियाणा सरकार ने 'आपत्तजनक' जातनामों को हटाने का आग्रह किया

चर्चा में क्यों?

हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार से राज्य की [अनुसूचित जातियों](#) की सूची से चूड़ा, भंगी और मोची जैसी वशिष्ट जातियों के नाम हटाने का आग्रह किया है।

- इन नामों को आपत्तजनक, अपमानजनक माना जाता है और अक्सर अपमानजनक टिप्पणी के रूप में प्रयोग किया जाता है।

मुख्य बिंदु

- राज्य का तर्क है कि ये नाम "न केवल आपत्तजनक हैं, बल्कि इनकी प्रासंगिकता भी समाप्त हो चुकी है।"
- इस कदम का उद्देश्य इन उपाधियों के माध्यम से कायम जाति-आधारित पूर्वाग्रहों को समाप्त करना है।
- जनि नामों को हटाया जाना है, वे हैं चूड़ा और भंगी, जो अनुसूचित जाति (SC) सूची के क्रम संख्या 2 पर अंकित हैं तथा मोची, जो SC सूची के क्रम संख्या 9 पर अंकित है।
- जब नकारात्मक रूप से या अपमानजनक रूप से उपयोग किया जाता है, तो ये जातगत नाम जातगत पूर्वाग्रह को कायम रखते हैं और [अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति \(अत्याचार निवारण\) अधिनियम, 1989](#) के तहत शिकायतों का परिणाम हो सकता है, जिसमें कठोर दंड का प्रावधान है।
- हालाँकि, इन नामों को SC सूची से हटाने के लिये, केंद्र को [संवधान \(अनुसूचित जाति\) आदेश, 1950](#) में संशोधन करना होगा, जो SC/ST सूची में जातियों को जोड़ने या हटाने की प्रक्रिया है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989:

- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, जिससे SC/ST अधिनियम 1989 के नाम से भी जाना जाता है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को जाति आधारित भेदभाव और हिसा से बचाने के लिये अधिनियमित किया गया था।
 - [भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 और 17](#) में नहिंति इस अधिनियम का उद्देश्य इन हाशिए पर पड़े समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पछिले कानूनों की अपर्याप्तताओं को दूर करना है।
- यह अधिनियम [अस्पृश्यता \(अपराध\) अधिनियम, 1955](#) और [नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955](#) पर आधारित है, जो अस्पृश्यता और जाति के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने के लिये स्थापित किये गए थे।
- केंद्र सरकार को अधिनियम के कार्यान्वयन के लिये नियम बनाने का अधिकार है, जबकि राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र केंद्रीय सहायता से इसका प्रशासन करते हैं।